राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2568/2025

ओम प्रकाश **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज, भरतपुर (राज.)।
3. पुलिस अधीक्षक, भरतपुर, जिला भरतपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.04.2025

आदेश की दिनांक : 01.05.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में हैड कांस्टेबल के पद पर पुलिस लाईन, भरतपुर, जिला भरतपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर दिनांक 15.03.1998 को हुई थी और उसे रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध आदेश दिनांक 31.12.2020 के द्वारा पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी जब कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था उसे नियम सीसीए नियम 17 के अंतर्गत आरोप पत्र दिया गया, जिसमें आरोपित किया गया कि एक मुल्जिम जो आर.बी.एम. चिकित्सालय, भरतपुर में चिकित्सालय की खिडकी तोडकर भाग गया, जो अपीलार्थी के हिरासत में था, जिसके कारण अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया गया और दिनांक 16.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी को दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भविष्य प्रभाव रोके जाने के दण्ड

से दण्डित किया गया, जिसके प्रभाव से अपीलार्थी के चयनित वेतनमान एवं वार्षिक वेतन वृद्धि आदि विलम्ब से दिये गये और अग्रिम पदोन्नति पर भी विचार नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को देये तिथि से ही चयनित वेतनमान एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तथा पदोन्नति आदि प्रदान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)